



# कृषि महाविद्यालय कुम्हेर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

डॉ. एम. के. शर्मा  
अधिष्ठाता

Mobile: 9602749904

Email-dean.coabharatpur@sknau.ac.in

No.F. LT/Store/COA-K/2024/2864

Dated: 18.12.2024

## सीमित निविदा सूचना

19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवश्यकतानुसार भोजन आदि आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फार्मों/सेवा प्रदाता संस्थाओं/जिनके पास भोजन आपूर्ति हेतु बैध लाईसेन्स है से दिनांक 26.12.2024 को निर्धारित प्रपत्र में दोपहर 12:00 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रू0 200/- जरिए नगद/यू.पी.आई./डी.डी./बैंकर्स चैक अथवा [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं जिसकी शुल्क रू0 200/- बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय होगा, भुगतान कर दिनांक 26.12.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक: 26.12.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा होंगे। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1	केन्द्र पर विभिन्न प्रशिक्षणों एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु नाश्ता व भोजन सप्लाई कार्य	190000/-	3800/-

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

  
अधिष्ठाता  
DEAN  
College of Agriculture  
Bharatpur (Raj.)

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
3. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. कृषि विज्ञान केन्द्र कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर, के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र, कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. पंचायत समिति कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. फार्म प्रभारी, केवीके कुम्हेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

  
अधिष्ठाता  
DEAN  
College of Agriculture  
Bharatpur (Raj.)





# कृषि महाविद्यालय, कुम्हेर

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)

## सीमित निविदा प्रपत्र नं० 1

सीमित निविदा सूचना क्रमांक F. LT/Store/COA-K/2024/		दिनांक: 18.12.2024
1. निविदा संदर्भ	भोजन व्यवस्था हेतु निविदा	
2. बजट हैड	स्टेट प्लान/एन.एस.एस./पी.एम.सी.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम	
3. कार्य की अनुमानित अवधि	वर्ष 2024-25	
4. निविदा फार्म का मूल्य	200/- जरिए नगद/यू.पी.आई./डी.डी./बैंकर्स चैक(बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय होगा)	
5. बिड सिक्यूरिटी की प्रकृति व राशि	3800/- जरिए नगद/यू.पी.आई./डी.डी./बैंकर्स चैक(बैंक ड्राफ्ट व बैंकर चैक जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय होगा)	
6. अनुमानित लागत	1.90 लाख	
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	26.12.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक	
8. प्रपत्र जमा कराने की दिनांक व समय	26.12.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक	
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	26.12.2024 को दोपहर 02:00 बजे	
10. परिशिष्ट संख्या एक से तीन	निविदा की शर्तें	
11. पत्राचार हेतु पत	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर, पिन: 321201	

निविदादाता के हस्ताक्षर

अधिष्ठाता



# कृषि महाविद्यालय कुम्हेर

परिशिष्ट सं० 02

No.F. LT/Store/COA-K/2024/

दिनांक: 18.12.2024

## तकनीकी निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-25 भोजन व्यवस्था हेतु

फर्म का नाम व पता मय दूरभाष एवं ई मेल:- .....

1. पैन नं० .....
2. जी०एस०टी०.....
3. राजस्थान खाद्य मिलावट निरोधक नियम 1957 / FSSAI के तहत धारिक अनुज्ञापत्र की छायाप्रति ।
4. शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील ।
5. सफल निविदादाता को 200/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र करना होगा ।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष रहेगा ।
7. निविदादाता को भोजन परोसने एवं खाना बनाने के बर्तन आदि की समस्त व्यवस्था स्वयं की होगी एवं खाना कृषि महाविद्यालय कुम्हेर पर ही तैयार करना होगा ।
8. बिल का भुगतान कार्य पूरा होने के पश्चात् कोष कार्यालय जोबनेर के पास होने के बाद किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
9. भोजन एवं अल्पाहार की गुणवत्ता मानक स्तर की होनी चाहिए, संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग के सेम्पल परीक्षण करवाया जा सकता है।
10. निविदा सील बन्द लिफाफे में ही जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार कि जायेगी।
11. कमेटी द्वारा पहले तकनीकी निविदा के लिफाफे खोले जायेंगे। तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाता के ही वित्तीय निविदा के लिफाफे खोले जायेंगे।
12. अमानत राशि पर संस्था द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
13. तकनीकी निविदा लिफाफे में पैन कार्ड एवं जीएसटी नम्बर राजस्थान खाद्य मिलावट निरोधक / FSSAI अनुज्ञापत्र संलग्न करना है।
14. अनुभव प्रमाण- पत्र: सम्बंधित ट्रेड में कार्य करने सम्बंधी पिछले 3 साल का पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें ।
15. लाईट का उपयोग करने पर उपयोग की गई यूनिट का भुगतान रू० 15/- प्रति यूनिट के हिसाब से करना होगा।
16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
17. एक निरस्त किया हुआ बैंक चैक संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

  
अधिष्ठाता

## निविदा शर्तः—

1. यह दर संविदा अनुबंध पत्र निष्पादित करने से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।
2. सीलबन्द लिफाफे में निम्नांकित संलग्न आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में वित्तीय निविदा खोली नहीं जायेगी।
  1. निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1
  2. धरोहर राशि दो प्रतिशत रु. 3800/— जरिए नगद/यू.पी.आई./डी.डी./बैंकर्स चैक (बैंक ड्राफ्ट व बैंक चैक जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भरतपुर के पक्ष में देय होगा)
  3. निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटोप्रति
  4. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति
  5. निविदा शर्तों पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित।
  6. पैन कार्ड की छायाप्रति।
  7. सम्बंधित कार्य करने के सम्बंध में पिछले 3 वर्ष के कार्यानुभव का प्रमाण पत्र।
  8. एक निरस्त किया हुआ बैंक चैक संलग्न करें।
  9. मुख्य लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में रखी जानी चाहिए।
3. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रु0 200/— नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व बिड सिक्यूरिटी 3 प्रतिशत रु. 5700/— जरिए जरिए यू.पी.आई.(भीम, फोनपे, पेटिएम, गूगलपे आदि)/डी.डी./बैंकर्स चैक जमा करवानी होगी। जिस पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज देय नहीं होगी।
4. अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय-समय पर दी जाती रहेगी।
5. भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली (डबल रिफाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
6. सब्जी ऋतु के अनुसार अलग-अलग प्रकार की देनी होगी।
7. डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र का निविदा शुल्क रु0 200/जमा करना होगा।
8. भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
10. भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदादाता की होगी।
11. भोजन व्यवस्था/केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
13. उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से व शास्ति राशि से कटौतियाँ की जा सकेंगी। इस संबंध में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कुम्हेर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
14. निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GF&AR, RTPPA 2012 एवं RTPPR 2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/फर्म की रहेगी।
15. दर्शित कार्य आपको निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में आपकी जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
16. भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में बिड सिक्यूरिटी जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।

17. उपापन व पारदर्शिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।
18. कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग-अलग कार्यों के लिए पृथक-पृथक निविदादाता/फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।
19. ठेकेदार/फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ. वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा जीएसटी आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। ई.एस.आई. एवं पी.एफ. निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय-समय पर रिकार्ड जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक दुर्घटना की दशा/लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियाँ ठेकेदार/श्रमिक की होगी।
20. किसी भी विवाद के निपटारे हेतु अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय क्षेत्र भरतपुर एकल आरबीटेरस होंगे व उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र भरतपुर होगा।
21. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय कुम्हेर को प्रेषित होनी चाहिए।
22. प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मीनू ध्यानपूर्वक पढ़ लें किसी भी प्रकार की कांट-छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
23. निविदा भरने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े व प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।
24. भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
25. भोजन संबंधी कोई भी आपूर्ति समय पर न होने की स्थिति में आपूर्ति कार्यालय द्वारा पूर्ण करा लिया जायेगा। तथा कार्यालय द्वारा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
26. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
27. भोजन प्रशिक्षण स्थल पर मीनू के अनुसार ताजा बनाकर खिलाना होगा।
28. भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
29. लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा। और उसको सम्बन्धित अधिकारी से मंजूर करवाना होगा।
30. दो दिवसीय/तीन दिवसीय/पाँच दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग-अलग होगा।
31. ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा।
32. भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी।
33. भोजन को महाविद्यालय में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी पार्टी निविदादाता को करनी होगी। अन्यथा सफाई भरपाई भोजन आपूर्तिकर्ता के बिल से की जायेगी।
34. कार्य संस्था के पास उपलब्ध राशि के अनुसार किये जायेगें, जो कि अनुमानित राशि से कम ओर ज्यादा हो सकते हैं।
35. नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जाएगा।

मैं ..... उक्त

शर्तों के अधीन रहते हुए भोजन व चाय की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

  
अधिष्ठाता

प्रशिक्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मीनू  
(वित्तीय निविदा प्रपत्र वर्ष 2024-25 पृथक लिफाफे में रखें)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अधिकतम दर (₹)	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अधिकतम दर जी.एस.टी. सहित (₹)
1	<u>सुबह का नाश्ता</u> समोसा /कचौड़ी + एक पीस मिठाई (सोनपपड़ी/लड्डू) + एक केला + चाय	25	
2	<u>दोपहर/रात का भोजन</u> 15 पूड़ी/6 रोटी (देशी घी से चुपडी हुई) + मौसमी सब्जी + दाल + चावल + रायता + मिठाई एक पीस + सलाद + अचार	75	
3	<u>वी आई पी भोजन</u> <u>सुबह का नाश्ता</u> दो समोसा /कचौड़ी + दो पीस मिठाई (सोनपपड़ी/लड्डू) + दो केला + चाय <u>दोपहर का भोजन</u> 15 पूड़ी/6 रोटी (देशी घी से चुपडी हुई) + मौसमी सब्जी + दाल + छोले + मटर पनीर/साही पनीर/पालक पनीर + चावल + रायता + मिठाई दो पीस + अचार + सलाद + पापड	150	

हस्ताक्षर निविदादाता

  
अधिष्ठाता